भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1894
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जौनपुर जिले में एफएचटीसी परिवार

†1894. एडवोकेट प्रिया सरोजः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 30 जून, 2025 तक जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कितने घरों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं;
(ख) इसकी शुरुआत से अब तक जौनपुर जिले में जेजेएम के अंतर्गत आवंटित कुल बजट, व्यय और अप्रयुक्त धनराशि कितनी है;
(ग) जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एफएचटीसी के 100% कवरेज को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;
(घ) जौनपुर जिले में कवरेज के प्रतिशत सहित प्रदान किए गए एफएचटीसी का ब्यौरा क्या है;
(ङ) वर्ष 2024-25 के दौरान जौनपुर जिले में दूषित पाए गए नमूनों की संख्या सहित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षणों का ब्यौरा क्या है; और
(च) उत्तर प्रदेश में आर्सेनिक, फ्लोराइड और जीवाणु संदूषण जैसी जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से ग्रस्त बस्तियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के ठोस प्रयासों से लगभग 12.44 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने की सूचना है। इस प्रकार, 28.07.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.96%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, उत्तर प्रदेश में 5.16 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, राज्य में लगभग 235.78 लाख और ग्रामीण

परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 28.07.2025 तक, राज्य के 267.21 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 240.95 लाख (90.17%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जौनपुर जिले में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय 2.58 हजार ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, जिले में लगभग 5.32 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 30.06.2025 तक, जिले के कुल 5.93 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 5.34 लाख (90.13%) ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि वित्तीय आबंटन और निधियों का संवितरण जेजेएम के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के लिए है। जिला-वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। जौनपुर जिले में जेजेएम के तहत उपयोग की गई धनराशि 1909.597 करोड़ रुपये है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जौनपुर जिले में दिसम्बर 2028 तक शत-प्रतिशत कार्यपरिपूर्णता हासिल करने का लक्ष्य है।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, कवरेज की प्रतिशतता सहित जौनपुर जिले में प्रदान किए गए एफएचटीसी का ब्लॉक-वार ब्यौरा निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: - https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान जौनपुर जिले में कुल 43,835 नमूनों का परीक्षण किया गया है और कुल 7 नमूने संदूषित पाए गए हैं।

(च) जल जीवन मिशन के अंतर्गत, परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष वित्त वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोई गुणवत्ता प्रभावित बसावट नहीं है। सुलभ संदर्भ के लिए, गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कुल संख्या और जनसंख्या का ब्यौरा निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/qaualityissue/JJMRep_NoOfQualityAffHabitations_S.aspx

इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता संबंधी प्रमुख संदूषण के मामले में सुधारात्मक कार्रवाई करनी होती है और यदि आवश्यक हो तो विशेष रूप से आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम संदूषकों और जीवाणु संदूषणों के मामले में उपशमन और/अथवा सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए स्वास्थ्य विभाग को सचेत करना होता है।

****